एक नजर में

आबकारी विभाग की कार्रवाई
38 पेटी अवैध शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया

आलीराजपुर । कलेक्टर अलीराजपुर नीतू माथुर के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम झालिया के काछला फलिया मध्य प्रदेश-गुजरात राज्य सीमा में नाले के पास झाड़ियों में से 38 पेटी अवैध मदिरा जब्त की गई। इस प्रकार लगभग कुल 430 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई। मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने पर मदिरा को कब्जे आबकारी लिया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) 34(2) में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जी एस रावत के नेतृत्व में आबकारी टीम द्वारा मदिरा जब्त की गई जिसकी अनुमानित कीमत 1लाख 37 हजार है। जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया, आबकारी उपनिरीक्षक गंभीर सिंह वास्कले सहित आबकारी का अमला मौजूद था। उक्त जानकारी जिला आबकारी विभाग द्वारा दी गई।

गीता जयंती महोत्सव जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया

आलीराजपुर । प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, क्रांतिकारी शहीद छितुसिंह किराड शासकीय महाविद्यालय में आज जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कलेक्टर श्रीमती माथुर ने कहा कि गीता जयंती मनाना शासन का अत्यंत सराहनीय प्रयास है जिसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत की गौरवशाली सनातन संस्कृति से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि भौतिकवाद के इस दौर में जब अन्य देशों के लोग भी भारतीय संस्कृति को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं, ऐसे में हमें भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हुए गीता का अध्ययन और अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता मोह-माया का त्याग कर कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करते रहने का संदेश देती है, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। इस दौरान उन्होंने कवि श्री रविन्द्र जैन की पंक्तियाँ 'मन से बड़ा बहरूपिया...' का सुमधुर गायन कर सभी को भाव-विभोर कर दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आचार्य योगेश शास्त्री ने उपस्थित जनों का संस्कृत में स्वागत करते हुए गीता जयंती और एकादशी पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें वेद, पुराण और उपनिषदों का सार समाहित है। उन्होंने सभी से प्रतिदिन गीता श्लोक वाचन का आग्रह किया। संध्या पांडे ने गीता का मुख्य संदेश कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो पर विस्तृत विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आत्मा नश्वर नहीं है, इसलिए ईश्वर में आस्था रखते हुए सत्कर्म और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। माधुरी सोनी ने भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालते हुए जीवन में त्याग, अनुशासन और सकारात्मक परिवर्तन अपनाने की प्रेरणा दी। युवा मनीषी देव पंवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि धर्म और संस्कृति से बड़ा कोई नहीं। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम युग कहलाता है, जो जीवन को दिशा देने वाला मार्ग है। उन्होंने कहा कि विद्या ही हमारा वास्तविक हथियार है, और अपने मूल कर्मों से जुड़े रहकर ही हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम में आचार्य योगेश शास्त्री एवं श्री कमलेश नागर द्वारा गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक वाचन किया गया तथा इसी अध्याय पर आधारित विशेष बुकलेट का वितरण किया गया। इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित आकर्षक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर एवं सभी अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम में जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया

आलीराजपुर । आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव देशभर में उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में आलीराजपुर जिले के जोबट तहसील सहित विभिन्न संस्थानों में गीता जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोबट, पीएम श्री विद्यालय खट्टाली तथा जिला जेल में विशेष आयोजन कर गीता जयंती का महत्व बताया गया। कार्यक्रमों के दौरान छात्रों एवं प्रतिभागियों को श्रीमद्भागवत गीता के 15वें अध्याय पर आधारित बुकलेट का वितरण किया गया। बच्चों को गीता के सार से अवगत कराते हुए बताया गया कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए,तथा सदैव अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पालन करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का कर्म है पढ़ाई में अपना शत प्रतिशत देना बिना परिणाम की चिंता किए। आयोजकों ने कहा कि गीता जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज को अपनी प्राचीन संस्कृति एवं मूल्यों से जोड़ना और उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों द्वारा श्रीमद्भागवत गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक वाचन किया गया।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की समीक्षा बैठक

आलीराजपुर ।कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर नीतू माथुर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में माथुर द्वारा सभी विभागों से एक एक कर योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ तथा विभागीय समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई। तथा सभी विभाग अधिकारी को सख्ती से निर्देशित करते हुए कहा कि सभी योजनाओं के लिए लक्ष्य तय करें और साथ ही लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे, योजनाओं के जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु गतिविधियों की रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराए। उन्होंने आगे कहा कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में जो गैप आ रहा है उन्हें चिन्हित कर योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए रणनीति बनाकर कार्य करे। साथ ही योजनाओं को लागू करने में नवाचार लाए। इस दौरान कृषि, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा, खाद्य विभाग, मत्स्य पालन, सामाजिक न्याय, जल संसाधन, बैंक के स्थ्रू वाटरशेड, उद्योग विभाग, सहकारिता, कृषि विज्ञान केंद्र, भू-अभिलेख, ह्नत्रक्रूतथा आईटीआई के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।

ब्राह्मण समाज में आक्रोश, आईएएस वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

▶ ज्ञापन सौंप और पुतला दहन कर अशोभनीय टिप्पणी की निंदा की

पेटलावद। ब्राह्मण समाज की महिलाओँ के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते पेटलावद तहसील के समस्त ब्राह्मण समाजजन ने ब्राह्मण समाज तहसील पेटलावद के तत्वाधान मे मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव के नाम नायब तहसीलदार सुश्री अंकिता भिड़े को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की।इसके साथ ही संतोष वर्मा का पुतला दहन कर निंदा की गई।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्रदेश के उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन अधिकारी द्वारा समाज की मातृशक्ति के प्रति अमर्यादित व अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि संपूर्ण समाज की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। समाजजन ने कहा कि ऐसे वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि संतोष वर्मा अपने संवैधानिक दायित्व और प्रशासनिक पद की गरिमा को भूल चुके हैं।ज्ञापन में यह भी कहा गया कि भारत की इसी पवित्र भूमि पर चाणक्य जैसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने अहंकारी शासकों को भी विनम्रता का पाठ पढ़ाया था। ऐसे में किसी भी समुदाय या समाज पर अभद्र टिप्पणी करना संप्रभु भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, जिसका समाज सख्त विरोध करता है।ब्राह्मण समाज ने मांग की कि संतोष वर्मा को तत्काल प्रभाव से पदच्युत/निलंबित कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी पद की गरिमा के विपरीत इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देने से पहले सौ बार विचार करे। समाज ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो संपूर्ण समाज आंदोलन के लिए विवश होगा।

लड़ने के लिए नहीं मिल पा रहा टिकट

इस मौके पर समाज अध्यक्ष मनोज जानी राष्ट्रीय परशुराम सेना जिलाध्यक्ष रविराज पुरोहित, महिला विंग अध्यक्ष संगीता त्रिवेदी, युवा विंग अध्यक्ष अंशुल व्यास, महेश व्यास,कैलाशचंद्र शुक्ला, सुनिल जानी, वीरेंद्र भट्ट, पंकज दवे, वेंकट त्रिवेदी, अशोक रामावत, राजेश पालीवाल,योगेश शर्मा, देवेश त्रिवेदी, शैलेंद्र दवे, जितेंद्र भट्ट,जगदीश जानी, श्रवण दवे, लक्की त्रिवेदी,मुकुंद भट्ट, देवेंद्र पुरोहित, गौरव जानी, आदित्य भट्ट, दयाराम शर्मा, राकेश शर्मा सहित महिला शक्ति में लता जानी, रश्मी दवे, नीता दवे, किरण जोशी, अविका जोशी सहित बडी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जीवन भट्ट द्वारा किया गया। ज्ञापन का वाचन सुश्री इशिता भट्ट ने किया तथा अंत में समाज के अध्यक्ष मनोज जानी ने उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया।

कीटनाशक दवाई पी कर बुजुर्ग ने की जीवनलीला समाप्त

झाबुआ. कालीदेवी थाना क्षेत्र के ग्राम सूरीनाला निवासी सुरतान भूरिया पिता हीरा भूरिया उम्र करीब 60 साल ने आज कीटनाशक दवाई पी कर अपनी जीवनलीला समाप्त करली। गुप्त सूत्रों के पता चला है कि मृतक के द्वारा कीटनाशक पीने के पीछे एक बैंक के कुछ कर्मचारियों के द्वारा दबाव बनाने की बात पता चली है ।

मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया की मृतक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा झाबुआ से एक के. सी. सी लोन लिया था जिसकी वसूली के लिए बैंक के कर्मचारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था । शनिवार को भी बैंक के कर्मचारी ने मृतक को धमकी दी थी की लोन की राशि नहीं दी तो हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे जिससे परेशान हो कर आज सुरतान भूरिया ने कीटनाशक दवाई पी ली जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई । फिलहाल परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है अब आगे कालीदेवी पुलिस क्या कार्यवाही करती है यह देखना है ।फिलहाल कालीदेवी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है ।

भागवत गीता में जीवन जीने का सहीं मार्ग व उद्देश्य बताया : शाखा प्रबंधक बैरागी

▶ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शहर शाखा में हुआ

झाबुआ। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार अंर्तराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव-2025 का आयोजन प्रदेश के 313 विकासखंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में आचार्यों के सानिध्य में 3 लाख से अधिक गीता भक्तों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ किया गया।

इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केके रायकवार एवं बैंक प्रशासक बीएल मकवाना के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में अंर्तराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ की शहर शाखा में भी किया गया। आयोजन में शाखा में पधारे अमानतदारों द्वारा सहभागिता की गई। शाखा प्रबंधक मनीष बैरागी ने सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्ण एवं भागवत गीता पुस्तक का पूजन कर पुष्पमाला अर्पण की गई। बाद भावगत गीताजी के 15वें अध्याय का वाचन कर श्री बैरागी ने बताया कि प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर गीता जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है।इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने श्रेष्ठ धर्नुधर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।

भागवत गीता में जीवन जीने का सहीं अर्थ बताया गया है

सहायक लेखापाल सुशीला डामोर ने अपने वक्तव्य में बतायसा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने और धर्म-कर्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन भी है। शाखा की कैशियर एवं बैंकिग सहायक सुश्री ज्योति शर्मा द्वारा पधारे अमानतदारो का आभार माना गया एवं गीता जयंती के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी गई। उक्त आयोजन को सफल बनाने में शाखा प्रबंधक मनीष बैरागी, सहायक लेखापाल सुशीला डामोर, बैंकिग सहायक सुश्री ज्योति शर्मा के साथ भृत्य भेरूदास बैरागी, सुरक्षा गार्ड अपसिंह अजनार, आउससोर्स सुरसिह मेड़ा आदि का सहराहनीय सहयोग रहा।

पतंगबाजी में चायनीज मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध

▶ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी

झाबुआ, 01 दिसम्बर 2025। आगामी मकर संक्रान्ति पर्व के दौरान बड़ी मात्रा में होने वाली पतंगबाजी और उससे जनसामान्य व पक्षियों को होने वाली संभावित हानि को ध्यान में रखते हुए झाबुआ जिला प्रशासन ने पतंगबाजी में उपयोग किए जाने वाले चायनीज मांझे (चायना धागा) पर प्रतिबंध लगाया है। मीडिया एवं नागरिकों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार चायनीज मांझे की अत्यधिक मजबूती के कारण पक्षियों के उलझकर घायल होने और मृत्यु के साथ-साथ राहगीरों के भी कटने व दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएँ होती है। जन-जीवन की सुरक्षा, पशु-पक्षियों के संरक्षण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से इस धागे के उपयोग, भंडारण एवं विक्रय पर रोक आवश्यक समझी गई। यह आदेश 01 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

▶ आदेश 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक प्रभावी

इसी क्रम में कलेक्टर नेहा मीना के अनुमोदन पर अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी चंदरसिंह सोलंकी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत झाबुआ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चायनीज मांझे के उपयोग, भंडारण एवं विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण में पेटलावद विधानसभा ने प्राप्त किया 100% ई-एफ डिजिटाइजेशन

झाबुआ, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत पेटलावद विधानसभा क्षेत्र-195 ने 100% ई-एफ डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।इस उपलब्धि पर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला झाबुआ नेहा मीना की ओर से समस्त टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की गई हैं।

इस सफलता में ईआरओ सुश्री तनुश्री मीणा, एईआरओ, पेटलावद तहसीलदार श्री अनिल बघेल, रामा तहसीलदार श्री प्रमेश जैन, नायब तहसीलदार झकनावदा श्री विजेन्द्र कटारे, नायब तहसीलदार पेटलावद सुश्री अंकिता भिड़े, सीईओ श्री गौरव जैन, सीएमओ श्रीमती आशा भंडारी, सभी मास्टर ट्रेनर, समस्त बीएलओ सुपरवाइजर एवं बीएलओ टीम का सराहनीय योगदान रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 100% ई-एफ डिजिटाइजेशन प्राप्त करना टीम की सक्रियता, समर्पण और समयबद्ध कार्यप्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो जिले के निर्वाचन प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित एवं मजबूत बनाता है।

ऑपरेशन मुस्कान तहत 133 गुमशुदा लोग सुरक्षित बरामद

▶ ऑपरेशन मुस्कान एवं विशेष अभियान में मिली सफलता : आलीराजपुर पुलिस की कार्रवाई

आलीराजपुर । जिले में गुमशुदा नाबालिगों एवं वयस्क व्यक्तियों की दस्तयाबी हेतु आलीराजपुर पुलिस द्वारा संगठित विशेष अभियान संचालित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को सुरक्षित खोजकर उनके परिजनों से मिलाना तथा समाज में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना था।

इस अभियान के तहत नाबालिग बालक-बालिकाओं की तलाश के लिए 1 नवम्बर 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक एक माह के लिए 'ऑपरेशन मुस्कान' चलाया गया। अभियान की अवधि में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कुल 19 गुम नाबालिगों में से 13 नाबालिग बालक/बालिकाओं का सफलतापूर्वक पता लगाया जाकर बच?चों को सुरक्षित उनके परिजनों को सौपा गया। पुलिस के द्वारा संवेदनशीलता, सक्रियता एवं त्वरित कार्रवाई के परिणामस?वरूप ही यह सफलता प्राप?त हुई है।

इसी क्रम में वयस्क महिलाओं एवं पुरुषों की खोज के लिए भी 25 सितम्बर 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले में दर्ज 273 गुम महिलाओं और 43 गुम पुरुषों में से 100 महिलाओं तथा 20 पुरुषों को पुलिस टीमों द्वारा सक्रियता एवं संवेदनशीता से कार्यवाही कर सुरक्षित खोजकर उनके परिजनों से मिलाकर उनके परिजनों को राहत दिलवाई गई।

पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर श्री रघुवंश सिंह ने बताया कि गुमशुदा व्यक्तियों की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है। अभियान के तहत 5 वर्ष से ज्यादा अवधि की गुम महिला को भी ढूंढ निकाला और 3-1/2 वर्ष से अधिक समय से गुम नाबालिक बालिका भी ढूंढ निकाला। गुमशुदा लोगों को माध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान राज्य से दस्तयाब किया हैं जिले की पुलिस टीम पूरी तत्परता, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ इस कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी गुम इंसानों को उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुँचाना आलीराजपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में अभियान सतत रूप से जारी रहेगा।

जिले में विश्व एड्स दिवस पर जागरूक किया गया

आलीराजपुर । विश्व एड्स दिवस कलेक्टर कक्ष में समाजिक संस?था द्वारा कलेक्टर श्रीमती माथुर को लाल रिबन एड्स के प्रति जागरूकता के प्रतीक के रूप में लगाई गई। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने कहा कि यह दिन ।ढ्ढङ्क/ढ्ढष्ठस् के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित लोगों का साथ देने और सावधानी बरतने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि एचआईवी एड्स का असर क्या है और नियमित जांच तथा इलाज कितना जरूरी है।

एक नजर ▶ जोबट में नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई

किशोरी के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दो आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

आलीराजपुर । जोबट थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग के साथ दुष?कर्म करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मजदूरी की तलाश में आई एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया तथा उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। जोबट पुलिस ने इस संवेदनशील घटना पर त्वरित और कठोर कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है।

घटना दिनांक 30 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच की है। नाबालिग फरियादिया और उसकी मुंहबोली बहन जोबट के देहदला फाटा पर मजदूरी के लिए खड़ी थीं। तभी आरोपी अहमद पिता हुसैन शेख, जो पूर्व से ईंट भट्टे के लिए मजदूर ले जाने के कारण परिचित था, वहां आया। उसने दोनों बच?चीयों को घर पर खाना बनाने के काम का झांसा देकर अपने साथ जोबट स्थित गुरुनानक मार्ग के एक मकान में ले गया।

जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचीं, आरोपी अहमद ने दरवाजा बंद कर लिया। वहां पहले से दो अन्य आरोपी, इमरान पिता याकूब और अमजद खत्री मौजूद थे। तीनों आरोपियों ने मिलकर नाबालिग पीडिता पर बुरी नीयत से टिप्पणी की और उस पर मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने का दबाव बनाया। जब पीडिता ने धर्म परिवर्तन करने और शादी करने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने दोनों पीडिताओं के साथ लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी इमरान ने एक नाबालिग पीड़िता को खींचकर एक कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म (बलात्कार) की घटना को अंजाम दिया।

घटना स?थल के आसपास के लोगों की सूचना पर तत?काल जोबट पुलिस टीम घटनास?थल पर पहुंची व भागने की कोशिश कर रहे आरोपी अहमद और इमरान को गिरफतार कर लिया। तीसरा आरोपी अमजद खत्री फरार होनें से इसकी गिरफतारी हेतु जोबट पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है।

जोबट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी इमरान और उसके साथी अहमद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी अमजद खत्री की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

आलीराजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध अपराधों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत सख?त कार्यवाही की जायेगी।